न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2099–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–08–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण कमांक 185/2010–11/निगरानी.

1–भागीरथ पिता श्री दौलजी माली मृतक द्वारा वारिसान
(अ) श्रीमती संतराबाई पति स्व.श्री भागीरथ
(ब) रमेश पिता स्व0श्री भागीरथ
(स) जतन पिता स्व0श्री भागीरथ
(द) भुपेन्द्र पिता स्व0श्री भागीरथ
(इ) रूपेश पिता स्व0श्री भागीरथ
सभी निवासीगण ग्राम माली, मोहल्ला गौतमपुरा,
तहसील व जिला इंदौर म0प्र0
2– मोहनलाल पिता श्री नानुराम
निवासी ग्राम माली, मोहल्ला गौतमपुरा,
तहसील व जिला इंदौर म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

शिवलाल पिता श्री विरन्दीचन्द माली
निवासी ग्राम गौतमपुरा, तहसील देपालपुर
जिला इंदौर म0प्र0

.....अनावेदक

श्री जगरामसिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री ओ.पी.शर्मा एवं श्री टी.टी.गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/4/2015 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 8–8–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय गौतमपुरा के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक कमांक 1 स्वर्गीय भागीरथ के नाम ग्राम खरसोडा स्थित भूमि सर्वे कमांक 299/1 रकबा 1.076 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 312/2 रकबा 0.285 हेक्टेयर तथा आवेदक कमांक 2 मोहनलाल के नाम सर्वे कमांक 299/2 व 299/3 रकबा 1.076 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 312/3 रकबा 0.280 हेक्टेयर है । आवेदकगण द्वारा अपनी भूमि का सीमांकन कराये जाने पर सर्वे कमांक 299/1 के भाग 01 एकड़ पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–70/2009–10 दर्ज कर दिनांक 2–11–2010 को आदेश पारित कर आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 28–3–2011 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि नायब तहसीलदार गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–8–12 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की भूमि का दिनांक 28–5–2001 को विधिवत् सीमांकन किया गया है और मौके पर अनावेदक उपस्थित हुये हैं, परन्तु उसने हस्ताक्षर करने से मना किया है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में ट्रेस नक्शा प्रस्तुत करने और ट्रेस नक्शा प्रस्तुत नहीं करने संबंधी दोनों बातों का उल्लेख किया गया है, जो कि विरोधाभासी है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष ट्रेस नक्शा प्रस्तुत किया गया है जो कि अभिलेख में संलग्न है और अनावेदक द्वारा सीमांकन आदेश को चुनौती नहीं देने के कारण वह अंतिम हो गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, जहॉ अनावेदक को सुनवाई का समुचित अवसर

उपलब्ध था, इस स्थिति पर अपर आयुक्त द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाकर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय में समय बाह्य निगरानी प्रस्तुत की गई है । यह भी कहा गया कि सीमांकन त्रुटिपूर्ण होने संबंधी निष्कर्ष दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाला गया है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण निगरानी में हस्तक्षेप नहीं किया गया जा सकता है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रभारी अधिकारी द्वारा सीमांकन की कोई सूचना अनावेदक को नहीं देने संबंधी कथन किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण अवैधानिक रूप से किये गये सीमांकन के आधार पर अनावेदक की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा यह नहीं बतलाया गया है कि 01 एकड़ भूमि के किस भाग पर अनावेदक द्वारा कब्जा किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के बीच में से रास्ता निकाला गया है और अवैधानिक सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 का प्रकरण नही चल सकता है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । उक्त आवेदन पत्र को तहसीलदार द्वारा मुख्यतः इस आधार पर निरस्त किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन विधि विपरीत हुआ है, जबकि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रचलित प्रकरण में सीमांकन को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है, जो पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण किया जाना है, जहॉ अनावेदक को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है, और वे साक्ष्य से प्रश्नाधीन

भूमि पर उनका अवैध कब्जा नहीं होना प्रमाणित कर सकते है। जहॉ तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा बिना उपंरोक्त वैधानिक स्थिति पर विचार किये निगरानी स्वीकार करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । इसके अतिरिक्त अपर आयुक्त द्वारा आदेश में संक्षिप्तः विवेचना करते हुये केवल निगरानी स्वीकार करने का उल्लेख किया गया है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश की स्थिति क्या रहेगी, इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । स्पष्टतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश 8–8–2012 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–03–2011 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर